

मई 2024

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- वति्त
- ॰ फनिटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों के लिये फ्रेमवर्क
- ॰ सवासथय बीमा उतपादों के लिये मासटर परिपतर जारी
- RBI ने परियोजना वितृत हेतु पर्डेशियल फ्रेमवर्क पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की
- वाणजिय
 - ॰ मसौदा वसि्फोटक वधियक, 2024
- जल संसाधन
 - ॰ बाँध सुरक्षा और नगिरानी पर वनियिम जारी

वति्त

फनिटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों के लिये फ्रेमवर्क

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने फनिटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों (SRO) के लिये एक फ्रेमवर्क <mark>अध</mark>िसूचित किया।

फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं में निम्नलखिति शामिल हैं:

पात्रता और सदस्यता के मानदंड:

- SRO के लिये आवेदक की न्यूनतम नेटवर्थ दो करोड़ रुपए होनी चाहिये।
- ॰ इसे RBI द्वारा मान्यता मिलने के एक साल के भीतर या SRO के रूप में परिचालन शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, हासिल किया जाना चाहिये।
- ॰ SRO की शेयरधारता वविधि होनी चाहिये, जिसमें किसी भी इकाई (या मिलकर काम करने वाली संस्थाएँ) के पास 10% से अधिक शेयर न
- SRO के सदस्यों में सभी आकारों, चरणों और गतविधियों वाली संस्थाएँ शामिल होनी चाहिये तथा उसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिये।
- ॰ सदस्यता स्वैच्छिक होगी ले<mark>कनि RBI फ</mark>िनटेक को किसी मान्यता प्राप्त SRO का सदस्य बनने के लिये प्रोत्साहति करेगा।

SRO की विशेषताएँ:

- ॰ वसतुनिषठ कार्यप्रणाली: SRO, RBI की निगरानी में वस्तुनिष्ठ रूप से कार्य करते हैं।
- ॰ सतत् विकास: SRO का लक्ष्य क्षेत्र का विकास करना है और यदि आवश्यक हो तो चरणबद्ध विनियामक अनुपालन पथ की पहचान कर सकते हैं।
- व्यापक प्रतनिधित्व: SRO व्यापक सदस्यता समझौतों के माध्यम से क्षेत्र का प्रतनिधित्व करते हैं।
- **स्वतंत्रता:** वे किसी भी एक सदस्य या समूह के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
- ॰ विवाद समाधान: SRO सदस्यों के बीच विवादों में वैध मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।
- ॰ **वनियामक अनुपालन:** सदस्यों को वनियामक प्राथमकिताओं का अनुपालन करने के लिये प्रोत्साहित करना उनकी भूमिका का हिस्सा है।

कारय:

- ॰ **नियम-निर्माण:** SRO वस्तुनिष्ठ और परामर्शात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से नियम तथा मानक स्थापित करते हैं।
- ॰ **उदयोग मानक:** वे उदयोग मानक और आधारभूत प्रौदयोगिकी मानक निर्धारित करते हैं।
- **निगरानी:** SRO क्षेत्र की निगरानी करते हैं, अपवादों का पता लगाते हैं और मुद्दों को उजागर करते हैं।
- ॰ **आचरण मानक:** वे आचरण के मानकों को परिभाषित करते हैं और उल्लंघन के लिये दंड लगाते हैं।
- ॰ सदस्यता नियंत्रण: SRO किसी इकाई को सदस्य के रूप में प्रतिबिंधित या हटा सकते हैं।
- ॰ शिकायत समाधान: सदस्यों के लिये विवाद समाधान ढाँचा स्थापित करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिये मास्टर परपित्र जारी

- भारतीय बीमा एवं विनियामक विकास प्राधिकरण (Insurance and Regulatory Development Authority of India- IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर एक मास्टर परिवित्र जारी किया।
 - ॰ यह परिपत्र 55 पिछले परिपत्रों का सुथान लेता है और तत्काल प्रभाव से लागू है।
 - ॰ मास्टर परपित्र की मुख्य वशिषताएँ इस प्रकार हैं:

बीमा उत्पादों के प्रकार:

- बीमाकर्त्ताओं को ग्राहकों को व्यापक विकल्प प्रदान करने के लिये उत्पाद पेश करने चाहिये।
- उन्हें निम्नलिखिति की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहियै:
 - ॰ सभी उम्र के लोग।
 - ॰ सभी प्रकार की चिकत्सीय स्थतियाँ।
 - ॰ पहले से मौजूद और पुरानी स्थितियाँ।
 - ॰ चकितिसकीय और उपचार की सभी परणालयाँ।
 - ॰ सभी परकार के असपताल और सवासथय देखभाल परदाता।
- इन उत्पादों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियिम, 2017, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियिम, 2021 और एचआईवी तथा एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियिम, 2017 सहित प्रासंगिक कानूनों का पालन करना होगा।
- दावों का निपटान:
 - ॰ बीमाकरतताओं को एक नशिचति समय-सीमा के भीतर 100% कैशलेस दावों का निपटान करने का प्रयास करना चाहियै।
 - ॰ कैशलेस निपटान पर निर्णय अनुरोध के एक घंटे के भीतर होना चाहिये।
 - ॰ कैशलेस अनुरोधों को सक्षम करने के लिये आवश्यक प्रणालियाँ 31 जुलाई, 2024 तक लागू होनी चाहिये।
 - अस्पताल से छुट्टी मिलने के तीन घंटे के भीतर अंतिम प्राधिकरण प्रदान किया जाना चाहिये।
 - ॰ देरी के कारण होने वाले किसी भी अतरिकित शूलुक का वहन बीमाकर्त्ता को अपने <mark>शेय</mark>रधार<mark>क कोष</mark> से करना होगा।

कस्टमर इनफॉरमेशन शीट:

- ॰ बीमा कंपनियों को ग्राहकों को CIS प्रदान करना चाहिये, जिसमें पॉलिसी की विशेषताओं को सरल भाषा में समझाया जाना चाहिये।
- ॰ CIS में बीमा का प्रकार, बीमा राशा, बहिष्करण, कटौती योग्य राश और उप-सीमा जैसे <mark>वविर</mark>ण शामिल होते हैं 🏻
- बोर्ड दवारा मंज़ूर नीता: बीमाकर्त्ताओं के पास निम्नलिखति पर बोर्ड-अनुमोदित नीतियाँ होनी चाहिय:
 - ॰ अंडरराइटगि
 - ॰ अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का पैनल बनाना।
 - ॰ उनके पास ससपषट दावा निपटान परकरियाएँ होनी चाहिये।

RBI ने परियोजना वित्त हेतु प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की

- भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने ड्राफ्ट निर्देश जारी किये हैं जो विनियमित संस्थाओं द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन-इंफ्रास्ट्रक्चर और वाणिज्यिक रियल एस्टेट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।
- विनयिमित संस्थाओं में बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शामिल हैं।

मसौदा निरदेशों की मुख्य विशेषताओं में निमनलखिति शामिल हैं:

परियोजना वित्त पोषण की शर्तें:

- ॰ परियोजना वित्तिपोषण ऋण चुकौती के <mark>लिये परियोज</mark>ना राजसुव पर निर्भर करता है, जिसमें परियोजना सुवयं संपारशविक के रूप में होती है।
- ऋणदाताओं के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव समाधान नीति होनी चाहिये।
- ॰ निध परियोजना के पूरा <mark>होने के अनुपात</mark> में वितरित की जानी चाहिये, जिसे किसी स्वतंत्र वास्तुकार या इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये।

कंसोर्टियम द्वारा वितृतपोषित परियोजनाओं में एक्सपोज़र की सीमाएँ होंगी।

- ॰ 1,500 करोड़ रपए तक के कुल जोखिम वाली परियोजनाओं के लिये ऋणदाताओं के पास कम-से-कम 10% जोखिम होना चाहिये।
- ॰ उच्च समग्र जोखिम वाली परियोजनाओं के लिये कम-से-कम 150 करोड़ रुपए या कुल जोखिम का 5% व्यक्तिगत जोखिम की आवश्यकता होती है।

स्ट्रेस रेज़ोल्यूशन:

- ॰ ऋणदाता परियोजना तनाव की निगरानी करते हैं और ऋण घटनाओं (जैसे- वाणिज्यिक संचालन तिथि का विस्तार, अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता) की रिपोर्ट करते हैं।
- ॰ ऋण घटना के 30 दिनों के भीतर देनदार की समीकषा की जाती है, जिससे संभावित समाधान योजनाएँ बनती हैं।

स्टैंडर्ड एसेट्स के लिये प्रावधान:

- ॰ ऋणदाता नरिमाणाधीन परियोजनाओं के लिये बकाया निधियों का 5% प्रावधान करते हैं।
- ॰ एक बार चालू होने के बाद यह प्रावधान विशिष्ट शर्तों के अधीन 2.5% और फिर 1% तक कम हो सकता है। इनमें सकारात्मक शुद्ध परिचालन नकदी प्रवाह एवं परियोजना शुरू होने से ऋण में कमी शामिल है।



मसौदा वसिफोटक वधियक, 2024

वाणिज्य और उदयोग मंत्रालय ने सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं के लिये विस्फोटक विधयक, 2024 का मसौदा जारी किया। इस विधयक का उददेश्य विस्फोटक अधनियिम, 1884 को पुरतस्थापति करना है, जो वर्तमान में वाणजियिक पुरयोजनों के लिये विस्फोटकों के निर्माण, कबुज़े, उपयोग, बिकरी, परविहन, आयात एवं निर्यात को नियंत्रति करता है।

- **लाइसेंस परदान करना:** अधिनियिम के अनुसार, विसफोटकों का विनिरिमाण, उपयोग, बिक्री, निरयात या आयात करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस पराधिकारी के पास लाइसेंस के लिये आवेदन करना होगा।
 - ॰ अधनियिम में यह अनवार्य किया गया है कि विस्फोटकों के विनिर्माण, उपयोग, बिक्री, निर्यात या आयात में शामिल किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समक्ष लाइसेंस के लिये आवेदन करना होगा।
 - ॰ लाइसेंसगि पराधिकरण, जैसे कि विसुफोटकों का मुख्य नियंतुरक, निर्दिषट अवधि के लिये लाइसेंस पुरदान करता है और विसुफोटकों की सवीकारय मातरा नरिद्षिट करता है।
- अपराध के लिये सज़ा: मसौदा विधयक में विभिन्न अपराधों के लिये ज़ुर्माना बढ़ाया गया है।
 - ॰ उदाहरण के लिये विसफोटकों के अवैध निरमाण, आयात या निरयात पर अधिकतम ज़ुरमाना पाँच हज़ार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया है।

जल संसाधन

बाँध सुरक्षा और नगिरानी पर वनियिम जारी

• राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण ने "नरिद्षिट बाँधों की नगिरानी, नरिकिषण और हाइड्रोमे<mark>टो</mark>रोलॉजिकल स्टेशन विनियमन, 2024" जारी किया है। ये वनियिमन सरकषा के लिये बाँधों और जल परवाह संकेतकों की निगरानी पर धयान केंद्रति करते हैं। Vision

मुख्य वशिषताओं में निमनलखिति शामिल हैं:

बाँधों की निगरानी:

- ॰ राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (State Dam Safety Organisations- SDSO) अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाँधों की लगातार नगिरानी करते हैं।
- ॰ बाँध के ढाँचे में दरारें. रिसाव या उपकरण से संबंधित किसी भी समसया जैसी किसी भी विसंगति का निरीकिषण करने के लिये निगरानी की आवश्यकता होती है।
- ॰ वशिषिट नरिकिषण उदाहरणों में मानसुन से पहले/बाद, बाढ़ के बाद और भूकंप के बाद के मामले शामिल हैं।

हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल स्टेशन:

- ॰ प्रत्येक बाँध के पास एक हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल स्टेशन वर्षा, जल स्तर, निरवहन, तापमान और हवा को मापता है।
- ॰ दैनकि नगिरानी सुरक्षा सुनशिचति करती है।
- ॰ बाँध मालिकों को बाढ़ के प्रवानमान और चेतावनी के लिये एक इंसटरमेंटेशन नेटवरक भी सथापित करना चाहिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prs-may-2024